राजस्थान सरकार

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ☎+91–141–2702477, 2702528
E-mail :- raj.madarsa@rajasthan.gov.in,
Website :- www.minority.rajasthan.gov.in/madarsaboard

क्रमांकः एफ.1 /रामबो/संस्थापन/2017–18/916 – 48 दिनांकः23-05.2017

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
जिला (समस्त)
राजस्थान।

विषयः– मदरसा कमेटी परिवर्तन हेतु दिशा निर्देश बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि किसी भी पंजीकृत मदरसे की कमेटी परिवर्तन व स्थान परिवर्तन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करेंः–

1 जिन मदरसों का पंजीयन रजिस्ट्रार को–आपरेटिव सोसायटी एक्ट 1958 के अनुसार है उनके कमेटी परिवर्तन एवं स्थान परिवर्तन का अनुमोदन भी रजिस्ट्रार को–आपरेटिव सोसायटी से करवाया जावे।

2 जो मदरसे मदरसा बोर्ड से पंजीकृत है उनके कमेटी परिवर्तन एवं स्थान परिवर्तन से पूर्व निम्न कार्यवाही पूर्ण करवाई जावेः–

(i) समस्त मदरसा कमेटी (न्यूनतम ग्यारह) को चुनाव एजेन्डे की सूचना देते हुए एक चुनाव अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी से कम न हो को नामित किया जावे।

(ii) नामित चुनाव अधिकारी के समक्ष समस्त सदस्यगण जिसमें पूर्व सदर/सचिव आवश्यक रूप से उपस्थित हो एवं नये सदर/सचिव का चुनाव अथवा कमेटी व स्थान परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया जावे जिसमें समस्त न्यूनतम 11 सदस्यों के हस्ताक्षर हो सभी सदस्यों के फोटो पहचान पत्र साथ में संलग्न किये जावे एवं कार्यवाही विवरण पर भी हस्ताक्षर हो तथा चुनाव अधिकारी से प्रमाणित करवाया जावे।

(iii) कमेटी परिवर्तन होने की स्थिति मे पुराने सदर/ सचिव के त्याग पत्र अथवा सहमति तथा नये सदर/सचिव के शपथ पत्र प्राप्त किये जावे।

(iv) पुराने एवं नवीन सदर/सचिव के पासपोर्ट साइज की फोटो मय हस्ताक्षर मोबाईल नं. सहित तीन प्रतियों में प्राप्त किये जावे जिसकी एक प्रति मदरसे में, एक प्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में एवं एक प्रति मदरसा बोर्ड में उपलब्ध कराई जावें फोटो एवं हस्ताक्षरों का प्रमाणीकरण चुनाव अधिकारी से करवाया जावें

(v) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अथवा चुनाव अधिकारी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर समस्त दस्तावेज इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे कमेटी परिवर्तन के आदेश जारी होने पर नई कमेटी बैंक से लेन देन करने हेतु अधिकृत होगें।

(vi) मदरसे के बैंक खाते की पास बुक का प्रथम पृष्ठ मय फोटो व अन्तिम पृष्ठ नवीनतम प्रविष्टी की छाया प्रति साथ में संलग्न कर भिजवाई जावे।

(vii) कमेटी व बैंक खाता किसी भी स्थिति में भिन्नता नही रखे एवं अधिकृत कमेटी के आधार पर ही शिक्षा सहयोगी की कार्य सत्यापन रिपोर्ट प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

E:jakir naqvi:Letter